न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : अंशदीप, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 45/2015

प्रार्थीगण–

1. पेमाराम पुत्र जवानाराम फोत के कायम मुकाम–

1.1. कोलाराम पुत्र पेमाराम

1.2. जोगाराम पुत्र पेमाराम

1.3. बुधाराम पुत्र पेमाराम

2. मोतीराम पुत्र देवाराम

3. रामाराम पुत्र देवाराम

4. गीलाराम पुत्र देवाराम

5. बाबूराम पुत्र प्रभुराम

6. अचलाराम पुत्र प्रभुराम

7. रणछोड़ाराम पुत्र प्रभुराम

8. लच्छीराम पुत्र सोनाराम

9. मांगीलाल पुत्र सोनाराम

10. [illegible]दाराम पुत्र सोनाराम

11. हिमताराम पुत्र हेमाराम

12. जूंजाराम पुत्र हेमाराम

13. चुतराराम पुत्र मानाराम

जाति चौधरी कलबी निवासी समदड़ी तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. सरपंच, ग्राम पंचायत समदड़ी

2. राणाराम पुत्र शोभाराम फोत के कायम मुकाम–

2.1. रूपाराम पुत्र राणाराम

2.2. पीराराम पुत्र राणाराम

2.3. जीवाराम पुत्र राणाराम फोत के कायम मुकाम–

2.3.1. खींयाराम पुत्र जीवाराम

2.3.2. अशोक कुमार पुत्र जीवाराम नाबालिग जरिये कुदरती वली बड़ा भाई खींयाराम पुत्र जीवाराम

जाति कलबी चौधरी निवासी राखी तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 125 मिसल सं. 251/82–83 दिनांक 16.07.1982 जो अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री पुरूषोतम सोलंकी, श्री नृसिंह सोलंकी, अधिवक्तागण प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

निर्णय

दिनांक : 30/12/2019

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम 266 के तहत ग्राम समदड़ी मे ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का विक्रय विलेख सं. 125 दिनांक 16.07.1982 को जारी किया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची मे वर्णित अनुसार 6660 वर्गफीट दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा इस पट्टा विलेख की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

2. अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत समदड़ी का प्रश्नगत अभिलेख मंगाया गया। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि प्रार्थीगण का आवासीय भूखण्ड कस्बा समदड़ी के सोलंकीया का वास में आया हुआ है, जिसे पक्षकारान के पूर्वज स्व. जोराराम ने रियासत काल में अर्जित कर

जिला कलक्टर बाड़मेर

कब्जा किया था तब से लगाकर तीन पीढीयों से इस भूखण्ड पर प्रार्थीगण का कब्जा हैं। इस भूखण्ड का पट्टा सं. 125 दिनांक 16.07.82 अप्रार्थी सं. 2 स्व0 राणाराम ने 90 गुणा 74 कुल 6660 वर्गफीट बिना प्रार्थीगण की जानकारी में लाये जारी करवा दिया। इसके पश्चात प्रार्थीगण के कब्जे में किसी प्रकार से कभी हस्तक्षेप नहीं किया तथा माह सितम्बर 2014 में प्रार्थीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का वाद सिविल न्यायालय सिवाना में प्रस्तुत कर दिया। सिविल न्यायालय की ओर से नियुक्त मौका कमिश्नर द्वारा बिना प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये ही उक्त विवादित भूखण्ड का मौका निरीक्षण किया तथा निरीक्षण की कार्यवाही के दौरान प्रार्थीगण के परिवार की महिलाऐं विवादित भूखण्ड पर उपस्थित मिली थी तथा प्रार्थीगण को उक्त वाद कार्यवाही एवं आलौच्य पट्टा सं. 125 के बारे में जानकारी हुई। इस भूखण्ड पर प्रार्थीगण का पीढ़ियों से कब्जा हैं जबकि अप्रार्थी सं. 2 विगत पचास–साठ सालों से ग्राम राखी मे रहता है, उसका गांव समदड़ी में कोई रहवास या धन्धा–व्यवसाय नहीं हैं। इसके बावजूद अप्रार्थी सं. 2 ने आलौच्य पट्टा सं. 125 कूटरचित दस्तावेज जारी करवाया है जिसकी जानकारी होने पर प्रार्थीगण द्वारा उक्त पट्टा सं. 125 से सम्बन्धित पत्रावली की नकलें ग्राम पंचायत समदड़ी से चाही गई, जहां से नहीं मिलने पर विकास अधिकारी पंचायत समिति सिवाना के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया, किन्तु वहां पर भी कोई राहत नहीं मिलने पर तहसील कार्यालय सिवाना की एकल खिड़की पर प्रार्थना पत्र दिनांक 10.12.2014 को प्रस्तुत किया गया। इस दौरान ग्राम सेवक समदड़ी एवं सरपंच से भी कई बार निवेदन करने के उपरांत ग्राम पंचायत समदड़ी ने अपने पत्र क्रमांक 52 दिनांक 08.03.2015 के द्वारा लिखित में दिया गया कि दस्तावेज काफि पुराना हैं तथा उपलब्ध रेकर्ड देखने पर वो पट्टा सम्बन्धी दस्तावेज नहीं मिले हैं, इसलिए प्रमाणित प्रतिलिपियां उपलब्ध नहीं कराई जा सकती हैं। इस प्रकार स्पष्ट हैं कि आलौच्य पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत

जिला कलक्टर
बाड़मेर

द्वारा न तो कोई पत्रावली संधारित की गई और न ही सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित की गई और न ही मौका निरीक्षण हुआ। ग्राम पंचायत द्वारा समस्त विधिक कार्यवाही को तक में रखते हुए अप्रार्थी सं. 2 से प्रभावित होकर आलौच्य पट्टा जारी कर दिया हैं जो निरस्त योग्य हैं। अतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आलौच्य पट्टा सं. 125 को निरस्त फरमाया जावें।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी के अधिवक्ता कथन हैं कि विवादित भूमि उनके पुश्तैनी कब्जा की हैं तथा आज भी उनका कब्जा हैं जबकि सिविल न्यायलय द्वारा नियुक्त मौका कमिशनर की मौका रिपोर्ट के अवलोकन से पाया जाता हैं कि *"विवादग्रस्त भूखण्ड में प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण उपस्थित होने पर उनकी मौजूदगी में मौका देखा गया तथा पडौसियान का पूछने पर विप्रार्थीगण नहीं बता पाये अर्थात स्तब्ध रह गये तब वहां खड़े व्यक्ति ने बताया कि बदिशा उत्तर मे जुहाराराम प्रजापत के मकानात है एवं बदिशा पश्चिम मे गोविन्दजी श्रीमाली का मकान है, इस भूखण्ड में धनकी एवं झमकू वृद्ध महिलाऐं भी थी जिन्होने मौका देखने में सहयोग किया।"* इस प्रकार निगरानीकर्तागण वक्त निरीक्षण मौका कमिश्नर मौका पर उपस्थित होकर भी विवादित भूखण्ड के बारे में मौके पर कुछ भी नहीं बता पाये हैं तथा इस रिपोर्ट में कहीं भी लिखा हैं कि प्रार्थीगण का कब्जा हैं। इसके अलावा आलौच्य पट्टा से सम्बन्धित ग्राम पंचायत कार्यालय में पत्रावली उपलब्ध नहीं होने से उसका अवलोकन किये बिना पट्टे वैधानिकता अथवा अनियमितता के बिन्दु पर परीक्षण संभव नहीं हैं। प्रार्थीगण द्वारा इस निगरानी प्रार्थना पत्र के द्वारा अपने कब्जे को आधार मानकर आलौच्य पट्टा को खारिज करने का अनुतोष चाहते हैं जबकि प्रस्तुत दस्तावेजों से उनका विवादित भूखण्ड पर कब्जा साबित नहीं हो पा रहा है। इसके बावजूद भी आलौच्य पट्टा सं. 125 वर्ष 1982 में जारी होने के बाद अब यदि कब्जे की स्थिति में यदि कोई

जिला कलक्टर
बाड़मेर

परिवर्तन भी हो गया हैं तो वह धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के अन्तर्गत इस निगरानी का आधार नहीं हो सकता हैं, ऐसे में प्रार्थीगण का यह निगरानी प्रार्थना पत्र धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम में यथाविहित अनियमितता, अपूर्णता एवं अवैधता की कसौटी पर बिना अभिलेख का अवलोकन एवं परीक्षण किये स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता हैं।

5. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.12.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2020.01.23 11:31:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: